

अवसर व त्रासदी के बीच तालाबों की भूमिका: बिहार के एक ग्राम आधारित अध्ययन

आलोक कुमार

शोध छात्र, गोविन्द बल्लभ पन्त सामाजिक विज्ञान संस्थान झूँसी, प्रयागराज

ARTICLE DETAILS

Article History

Published Online: 10 January 2019

Keywords

वंचित समुदाय, त्रासदी, सार्वजनिक संपत्ति, सतत विकास, आजीविका।

ABSTRACT

यह पेपर बिहार के मीव-सुखारीपुर गांव के क्षेत्र सर्वेक्षण पर आधारित है। विभिन्न सामाजिक समूहों के साक्षात्कार के आधार पर यह देखने को मिला कि तालाब लोगों की समृद्धि एवम् आवश्यकता पूर्ति का आधार है। जो तालाब कभी वंचित समुदायों के लिए आजीविका का साधन रहा है, वह आज इसके लगातार अवनयन के कारण वंचितों के लिए त्रासदी बन गया है। जो दैनिक आवश्यकताओं की पूर्ति अन्य स्रोतों से कर लेते हैं, उनके लिए तालाब महज जमीन का टुकड़ा है तथा वे इसे अवसर के नजरिए से देखते हैं और जिनके पास जमीन नहीं है, जरूरतों के साथ दैनिक आवश्यकताएं भी अधूरी रह जाती हैं, उनके लिए त्रासदी है!!

परिचय:

1968 में प्रसिद्ध अमेरिकी पर्यावरणविद और दार्शनिक गैरेट हार्डिन ने कहा था कि सार्वजनिक संपत्तियों पर अतिक्रमण वंचित समुदायों के लिए त्रासदी है¹। अपने पेपर के माध्यम से उन्होंने जनसंख्या नियंत्रण की वकालत की थी। मशहूर पर्यावरणविद पैट्रिक गेडेस (1915) ने भी तालाबों और पोखरों के संरक्षण और देख-रेख की मजबूत सिफारिश की है। उन्होंने आधुनिक शहरों द्वारा संसाधनों का दोहन करने की विशेषता को सटीक तरीके से समझते हुए शहरी जिंदगी को देहातों की जिंदगी से जोड़ने की मांग की है।² इसी प्रकार अनुपम मिश्र (1993) ने जल संकट का सामना कर रहे गाँवों के उद्धार के रूप में तालाब को परिभाषित किया है। पेयजल सिंचाई के लिए पानी के विविध प्राचीन और आधुनिक महत्व पर प्रकाश डाला है।³ साथ ही साथ बढ़ रही औद्योगिक संस्कृति के कारण तालाबों की दुर्दशा पर भी बात की है। इतिहासकार और प्रसिद्ध पर्यावरणविद रामचन्द्र गुहा (2006) ने सामाजिक पर्यावरण की रूपरेखा को सामने रखा है। उन्होंने बाँधों, राजकीय वनों, तालाबों तथा जीव संरक्षण जैसे मुद्दों पर चर्चा की है ताकि पर्यावरणीय प्रभाव व सतत विकास के नजरिए से सार्वजनिक संपत्तियों के संरक्षण और उचित वितरण पर बल दिया जाए।⁴ वे संरक्षण के प्रभुत्वशाली और एकांतवादी हिमायतियों की सख्त आलोचना करते हैं तथा इस प्रकार के जीवन मण्डल की जरूरत को सामने लाते हैं जिसमें इंसानों के साथ-साथ सभी दूसरी प्रजातियों का भी ख्याल रखा जा सके। गुहा तीन उल्लेखनीय पर्यावरणवादी दार्शनिकों और कार्यकर्ताओं का जीवन चरित पेश करते हैं तथा बुनियादी सवाल भी पूछते हैं कि एक इंसान या देश को कितना उपभोग करना चाहिए⁵? फिर वे इसके जवाबों का एक व्यापक नजरिया प्रस्तुत करते हैं।

पेपर वंचित समुदाय के लिए तालाबों की उपयोगिता को देखने का प्रयास करता है कि तालाब कैसे उनके लिए जीविकोपार्जन का साधन है? साथ ही ग्रामीणों के लिए तालाब, स्वरोजगार उपलब्ध कराता है, तथा यह भी देखने की कोशिश करता है कि तालाब के न होने से सतत विकास के साथ-साथ धार्मिक रीति-रिवाज कैसे प्रभावित होता है?

इतिहास

सतत विकास के तौर पर तालाब न केवल मानव के लिए वरन् सभी जीवित प्राणियों के लिए जरूरी है। चाहे महाभारत काल का यक्ष-युधिष्ठिर संवाद के दौरान तालाब में पानी पीने को लेकर हो, चाहे रामायण में श्रवण कुमार के पानी भरते हुए दशरथ द्वारा हिरण समझकर तीर चलाया जाना हो। रामायण से लेकर महाभारत काल तक तालाबों का इतिहास मौजूद रहा है। तालाब निर्माण में समाज के प्रत्येक जाति का योगदान है। छत्तीसगढ़ बिहार राजस्थान, मध्य प्रदेश आदि जगहों पर प्रचलित कहानियाँ कहावतें आदि परंपरा में मौजूद हैं। एक कहावत है तालाब के बारे में कि "हजार साल गड़ा, हजार साल पड़ा, और हजार साल खड़ा"⁶।

बिहार में तालाबों के आस-पास पूरी संस्कृति ही बसती है। वहां 'दुलहा तालाब' मिथिला क्षेत्र में काफी प्रसिद्ध है। बिहार में एक तालाब 'हा-हा पंचकुमारी' तालाब भी है।⁷ इसका नामकरण एक राजा के पांच बेटियों के इस में डूब जाने के कारण है।

¹ गैरेट हार्डिन, ट्रेजडी ऑफ द कॉमन

² राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

³ अनुपम मिश्र, 'आज भी खरे हैं तालाब'

⁴ राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

⁵ राम चन्द्र गुहा, उपभोग की लक्ष्मण रेखा

⁶ अनुपम मिश्र 'आज भी खरे हैं तालाब' पृष्ठ 48

⁷ अनुपम मिश्र 'आज भी खरे हैं तालाब'

बिहार में तालाबों को 'पोखरा' ताल तथा छोटे तालाब को 'गवही' नाम से भी जाना जाता है। पोखरा प्रायः छोटे तालाब को ही कहते हैं।⁸

समाज को जीवन देने वाला तालाब भला निर्जीव कैसे रह सकता है। पूरे भारत में तालाब ने अपने आस-पास जीवन को बनते, विकसित होते और बसते देखा है। जिसका जितना निकट सम्बंध जितना स्नेह रहा उसने अपने मन से उसका नामकरण किया। भाषाओं, बोलियों, धार्मिक रीति-रिवाजों, संस्कारों में तालाब के नामकरण का संसार भरा पड़ा है। डिंगल भाषा के व्याकरण का एक ग्रंथ हमीर नाम माला में तालाबों के पर्यायवाची नाम का जिक्र करते हुए इसे 'धरम सुभाव' कहा है।⁹ चाहे प्रसंग सुख या दुःख का हो तो हर स्थिति में तालाब का नामकरण इतिहास मौजूद है।

तालाब सतत विकास का एक बेजोड़े नमूना है जहां से न केवल लोगों की जरूरतें पूरी होती हैं, वरन् उनका समाज, उनकी संस्कृति, रीति-रिवाज, धर्म, गुरुर, स्वाभिमान सब कुछ इसके परिधि के इर्द-गिर्द ही घूमती है।

ग्राम स्वरोजगार के रूप में तालाब

सामाजिक और सांस्कृतिक तत्वों के साथ-साथ तालाब ग्राम स्वरोजगार का आधार स्तंभ है। गांव के वे सभी जाति, समुदाय जिनके पास अपनी निजी संपत्ति नहीं है उनके लिए स्वरोजगार का आधार स्तंभ है। तालाब न केवल ऐसे वंचित समुदाय के लिए नहाने-धोने के काम में आता है वरन् उनकी जीविका भी इस पर चलती है। उदाहरण स्वरूप देखा जाए तो तालाब से मत्स्य की आपूर्ति, मिट्टी और अनेक प्रकार के जलीय पौधे-फल आदि, आर्थिक और पोषण की जरूरतें पूरी होती हैं।¹⁰ मीव सुखारीपुर में साक्षात्कार के दौरान यह देखने को मिला कि समाज के विभिन्न समुदाय के लोग किस प्रकार तालाब पर निर्भर हैं। क्षेत्र में मुस्लिम समुदाय के लोग तालाबों में बतख पालन करके अपनी जीविका चलाते हैं। कुम्हार जाति के लोग जिनके पास अपना खेत नहीं है इन्हीं तालाबों से मिट्टी लेकर मिट्टी के बर्तन बनाते हैं, और अपना जीविकोपार्जन करते हैं। दलित समुदाय के या उच्च जाति के वे लोग भी जिनकी आर्थिक स्थिति कमजोर है, तालाबों से मछली के रूप में पोषक तत्व प्राप्त करते हैं।¹¹ इतना ही नहीं तालाब कृषि के लिए भी बहुत सहायक भूमिका अदा करता है। गांवों में लोग तालाब में डीजल पम्प लगाकर सिंचाई कर लेते हैं। तालाब में कुछ लोग सिंघाड़ा की खेती करते हैं, जिससे उन्हें आर्थिक उपार्जन हो जाता है।¹² फल सब्जी आदि की खेती भी तालाब के इर्द-गिर्द आसानी से उगायी जाती है। धोबी समाज के लोगों के लिए तालाब कपड़े धोकर जीविकोपार्जन करने का अवसर प्रदान करता है। इस प्रकार हम यह देखते हैं कि यह स्वरोजगार के लिए तालाब सहायक है।

अध्ययन क्षेत्र में तालाब

अध्ययन क्षेत्र भभुआ ब्लॉक के मीव सुखारीपुर गांव में कुल नौ तालाब मौजूद हैं जो क्षेत्रफल के हिसाब से लगभग 20 एकड़ में फैले हैं।¹³ यहाँ तालाबों को स्थानीय भाषा में कई नाम से सम्बोधित किया जाता है। जो तालाब बड़े हैं और सरकारी जमीन पर हैं तथा जिस तालाब पर किसी एक का मालिकाना हक नहीं होता अर्थात वह सार्वजनिक संपत्ति संसाधन का हिस्सा है, उसे 'गैर मजरूआ सर्व साधारण' कहा जाता है।¹⁴ सरकारी भाषा में जो तालाब किसी समुदाय विशेष का हो परन्तु सरकारी हो, उसे 'गैर मजरूआ आम' कहा जाता है।¹⁵

एक तालाब का प्रकार 'गैर मजरूआ खास' भी होता है, जिस पर किसी एक व्यक्ति का अधिकार होता है। यह तालाब भी पहले सरकार की जमीन पर ही था पर इसका कागज यदि कोई अपने नाम से बनवा लेता है तो वह 'आम' से 'खास' हो जाता है।¹⁶ बिहार के ग्रामीण इलाके में कुछ तालाबों को 'पोखर' नाम से जानते हैं। जो सरकारी फाइलों में भी इसी नाम से दर्ज होते हैं।¹⁷ इसके अलावा यदि बहुत छोटे क्षेत्रफल पर कोई तालाब होता है या चकबंदी के बाद कई जमीनों का टुकड़ा मिलकर एक तालाब के रूप में बच जाता है तो उसे 'चक' कहा जाता है।¹⁸ वैसे आम बोल चाल की भाषा में बिहार के तालाबों को 'ताल' कहा जाता है।¹⁹ कुछ जगहों पर जहाँ वर्षात का पानी ज्यादा हो जाने से एक अलग तरीके से पानी अपेक्षाकृत ऊँचे इलाके तक पहुँच जाता है और वहाँ पानी लम्बे समय तक बना रहता है, यहाँ तक कि गर्मी तक, तब ऐसी जगहों को गवही कहा जाता है। यह भी तालाब का वह हिस्सा होता है जिस पर सभी का हक होता है।²⁰ शोध क्षेत्र में लगभग 3000 की जनसंख्या पर कुल 20 एकड़ क्षेत्रफल में फैला ताल, पोखर, गवही आदि के रूप में तालाब फैले हैं जो इस गांव की समृद्धि विकास एवं सतत विकास के

⁸ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार कैमूर भभुआ

⁹ अनुपम मिश्र, 'आज भी खरे हैं तालाब'

¹⁰ क्षेत्र सर्वेक्षण, मीव-सुखारीपुर

¹¹ वहीं

¹² वहीं

¹³ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर .

¹⁴ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर

¹⁵ वहीं

¹⁶ साक्षात्कार के आधार पर (प्रेम चंद पाण्डेय)

¹⁷ चकबंदी विभाग, बिहार सरकार, भभुआ कैमूर

¹⁸ वहीं

¹⁹ साक्षात्कार के आधार पर

²⁰ साक्षात्कार के आधार पर

लिए पर्याप्त हैं। परन्तु काश, ऐसा धरातल पर भी होता! यह सारे तालाब सरकारी कागजों में फल-फूल रहे हैं पर जनता के लिये उपलब्ध नहीं हैं।

मीव-सुखारीपुर: तालाबों का विवरण

क्र०सं०	थाना नं०	खाता संख्या	नाम	तालाब का प्रकार	क्षेत्रफल
	752	248 / 247			
1	तदैव	248	चक	गैर मजरूआ सर्व साधारण आम	1 एकड़ 94 डिसमिल
2	तदैव	692 / 719	ताल	तदैव	एक एकड़ 95 डिसमिल
3	तदैव	737 / 818	ताल	तदैव	2 एकड़ 95 डिसमिल
4	तदैव	920 / 2038	ताल	तदैव	2 एकड़ 27 डिसमिल
5	तदैव	922 / 971	पोखर	तदैव	7 एकड़ 23 डिसमिल
6	तदैव	948 / 1088	ताल	गैर मजरूआ अनावार सर्वसाधारण	1 एकड़ 20 डिसमिल
7	तदैव	1116 / 1942	ताल	गैर मजरूआ अनावार सर्वसाधारण	3 एकड़ 87 डिसमिल
8	तदैव	1312 / 1573	पोखर	गैर मजरूआ अनावार सर्वसाधारण	3 एकड़ 87 डिसमिल
9	तदैव	806 / 852	गवही	सर्वसाधारण खाश	89 डिसमिल

स्रोत: बिहार सरकार चकबन्दी विभाग

वर्तमान स्थिति

मीव सुखारीपुर गांव के वे सारे तालाब जो सरकारी कागजों में अस्तित्व में हैं, उनमें से एक तालाब को छोड़कर सभी तालाब मृतप्राय हो चुके हैं।²¹ तालाबों की दशा इतनी दयनीय है कि या तो उसका अस्तित्व ही नहीं है या है भी तो वह नाला और बिहार की आम भाषा में कहें तो गड़ही का रूप ले चुका है।²² तालाब की दयनीय स्थिति का अंदाजा इस बात से भी लगाया जा सकता है कि जो तालाब समृद्धि के, संस्कृति के प्रतीक के रूप में होता है, वहाँ खड़ा होना भी मुनासिब नहीं है! तालाब की जगह पर कूड़े का ढेर, सब्जी की खेती, मंदिर निर्माण से कब्जा और तो और सरकार खुद ही इसका अतिक्रमण कर वहाँ पर पम्पसेट लगवाने के लिए गृह निर्माण भी करा चुकी है।²³ आम जनो की कौन सुने सरकार स्वयं अतिक्रमण के खेल में हिस्सेदार है!!

आज मीव-सुखारीपुर गांव के अधिकांश तालाब अतिक्रमण की चपेट में आकर अस्तित्व विहिन हो चुके हैं। तालाब के नाम पर कुछ बचा है तो छोटे-छोटे गढे, बद्बुदार पानी! लोगों के घरों के गंदे पानी की निकासी का साधन, बीमारियों का पिटारा और सतत विकास का कब्रगाह। तालाब अपनी दुर्दशा के आँशु रो रहा है। और दुखद बात यह है कि उस तरफ न तो आमजनों का, न प्रशासन का और न पर्यावरण प्रेमियों का ध्यान है ताकि उसका उद्धार हो सके।²⁴

एक का अवसर दूसरे की त्रासदी

अमेरिकी पर्यावरणविद और दार्शनिक गैरेट हार्डिन ने सतत विकास के लिए सार्वजनिक संपत्ति के संरक्षण और जनसंख्या नियंत्रण की बात की।²⁵ गाँव के तालाबों की दुर्दशा का कारण यह भी है कि प्रशासन अथवा नीति निर्माताओं का ध्यान नहीं है, बल्कि कारण कुछ और है। इसका महत्वपूर्ण कारण है कि तालाब पर कब्जा करने को लेकर एक वर्ग अवसर की नजर से देखता है, जो समृद्ध है। उच्च जाति का है और खेत से सम्पन्न है। उसे पर्यावरण और सतत विकास नामक अवधारणा से कोई मतलब नहीं। उसे बस तालाब जमीन का टुकड़ा दिखता है। उसे इस बात की जल्दी रहती है कि किस प्रकार तालाब का अधिक से अधिक हिस्सा उसके कब्जे में आ जाए, जिस पर वह सब्जी उगा सके, खेती कर सके, खलिहान बना सके और अन्य आर्थिक गतिविधियों के साथ कब्जा के माध्यम से अपना प्रभुत्व स्थापित कर सके।²⁶

कुल मिलाकर वहाँ इस वर्ग के लोगों ने ऐसा माहौल बना दिया है कि उनको तालाब से कोई मतलब नहीं, क्योंकि इस पर उनकी निर्भरता नहीं। साक्षात्कार के दौरान गाँव के एक निवासी सतानन्द पाण्डेय से पूछने पर कि तालाब के रहने से आपको क्या फायदा है? तो उनका जवाब था(" ताल रहे से कौनो फायदा नइखे ,बल्कि इ ना रही त हमनी के एकरा जगह पर तरकारी उगा सकी ला जा। एकर पानी भी खराब हो जाता त महकत बाटे, गाँव में जब कोई एके देखे ताके वाला नइखे त ओसे बढ़िया बा की इ न रहे त आदमी तरकारी भी उगा लिही।")कुछ भी नहीं। बल्कि यह मिट्टी से भर जायेगा तो यहाँ हम सब्जी की खेती भी कर सकते हैं। उनके कहने का मतलब यह था की गाँव में तालाब का कोई देख-रेख करने वाला नहीं है, और इसका पानी भी न तो बदला जाता है, नहीं पानी डाला जाता है, गाँव के नाली का पानी इसमें बह कर आता है जिससे बदबू फैलती है। इससे बेहतर है की तालाब को मिट्टी से भर दिया जाए और सब्जी की खेती की जाए। बिहार में सब्जी को स्थानीय भाषा में तरकारी कहते हैं।

²¹ क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर

²² वहीं

²³ वहीं


²⁴ वहीं

²⁵ गैरेट हार्डिन, ट्रेजडी ऑफ द कॉमन

²⁶ क्षेत्र सर्वेक्षण के आधार पर(सतानंद और प्रेम चंद पाण्डेय)

विभिन्न समुदायों की जल स्रोतों पर निर्भरता						
			वर्ग			कुल
			सामान्य	ओ.बी.सी	एस.सी	
जल स्रोत	कुआं	कुल संख्या	2	3	0	5
		%	4.0	6.0	0.0	10.0
	हैन्ड पम्प	संख्या	6	7	5	18
		%	12.0	14.0	10.0	36.0
	तालाब	संख्या	0	12	15	27
		%	0.0	24.0	30.0	54.0
कुल	संख्या	8	22	20	50	
	%	16.0	44.0	40.0	100.0	

स्रोत: फिल्ड सर्वे मीव-सुखारीपुर



समुदायों की जल स्रोतों पर निर्भरता। स्रोत: फिल्ड सर्वे मीव-सुखारीपुर

पुरुष-महिला प्रत्युत्तरदाता अनुपात				
	आवृत्ति	प्रतिशत	वैध प्रतिशत	संचयी प्रतिशत
पुरुष	31	62.0	62.0	62.0
महिला	19	38.0	38.0	100.0
योग	50	100.0	100.0	

स्रोत: फिल्ड सर्वे मीव-सुखारीपुर

यही सवाल गांव के एक पढ़े-लिखे स्थानीय निवासी प्रेमचन्द्र पाण्डेय से किया गया तो उनका भी कुछ ऐसा ही जवाब था। कहने का तात्पर्य है कि साक्षात्कार के दौरान वे तमाम लोग जो पहुंच वाले हैं, समृद्ध हैं, पढ़े-लिखे हैं उनके लिए तालाब के होने का कोई मतलब नहीं है। उनके लिए तालाब का न होना ज्यादा सही है। गांव में रहने वाले अन्य ओबीसी समुदाय के लोग जो तालाब के किनारे न होकर बीच गांव में हैं, उनसे यह प्रश्न-पूछने पर गोलमोल जवाब मिला, बजाय यह कहने की यह गलत है या सही उनको इस बात का मलाल दिखा कि उनका घर भी यदि इन तालाबों के करीब रहता तो कुछ हद तक हिस्सेदारी उनकी भी होती! (राजेश कहां ने कहा की "सब पंडीजी लोग मिल के ताल भर लेता। जेकरा केहें पाहिले से जमीन बा उ अउरी जमीन खातिर पागल भइल बा। हमनी के त घर बिच गाव में पड़ जाता त हमनी खातिर ताल के रहे आ ना रहे से कौनो फायदा नइखे। बल्कि ताल के पास रहती जा त कुछ फयदो होइत।") उनको इस बात से तकलीफ तो थी कि तालाब बड़ी तेजी से भर रहा है। जो नहीं होना चाहिए पर इस बात से नहीं कि उनको सतत विकास को खतरा दिख रहा है, बल्कि इस बात से दिक्कत थी की उनको इसमें हिस्सेदारी नहीं मिल रही है।

बात-चीत के दौरान शिवशंकर साह और राजेश्वर कहार ने यह भी बताया कि तालाब के भरने में ब्राह्मण समुदाय के लोगों की चालाकी है। वे अपनी जमीन के हिस्से में बढ़ोत्तरी के रूप में इसे देखते हैं। अन्य लोगों का हक मार रहे हैं। गांव के दलित समुदाय के लोगों से बात करने पर पता चला कि तालाब का नष्ट होना, उनकी जरूरतों का क्षरण होना है। झिंगुर राम, राजकुमार राम और भीम कहां की पत्नी लक्ष्मीनिया कंहार आक्रोशित और दुखी मुद्रा में नजर आए। लक्ष्मीनिया बताती है कि उनके परिवार पर तो तालाब के भर जाने से जैसे आफत ही टूट पड़ी है। उनका कहना है कि ("जब इ ताल पहिले ना भरल रहे तब हमनी के कौउनो दिक्कत नाहीं रहे हमनी के नहाए धोवे से खाए-पिये के सब काम ताल से ही हो जात रहे। ताल से पतरका के बाबू मछरी मार ले आवत रहन्। हमनी के रोजे मछरी खा लेत रहिनजा। पहिले जब इ ताल सरकार नीलाम करत रहे त एके देखे-ताके खातिर इनकरे के मिल जात रहे। कुछ पईसा भी मिल जात रहे अउरी मछली भी मार लेत रहन। काम खातिर कबो बाहर ना जायेके पड़त रहे।") उनका तात्पर्य था कि जब तालाब मौजूद था तब नहाने-धोने से लेकर खाने-पीने तक की निर्भरता तालाब पर थी। अपने पति के बारे में बताती है कि उन्हें कभी बाहर नहीं जाना पड़ा। वे इसी तालाब से मछली मार कर लाते और मछली बनती। आज मछली 200 रूपया किलो है। वो भी इसके लिए बाहर जाना पड़ता है। साल में कभी एक दो बार

मछली बन जाए तो काफी है। यह भी कहा कि हम लोगों को तब बाहर रोजगार की जरूरत नहीं पड़ती थी वो यहीं पर कुछ कमा लेते थे। जब यह तालाब सरकार निलाम करती तो इसी में उनकी देख-रेख करने का जिम्मा भी ठेकेदार दे देता था। हमारे बच्चे इसी तालाब के किनारे पले-बढ़े और बड़े हुए पर आज इसके न होने से हम लोगों को बहुत दिक्कत हुई। मेरे पति के पास सरकार का बीपीओ एलओ कार्ड तो है, पर समय से राशन न मिलने के कारण इनको अब दूसरे गांव में मजदूरी करने जाना पड़ता है।

गांव का एक गरीब आदमी जो तालाब पर अपनी जीविका के लिए निर्भर था आज वह दिहाड़ी मजदूरी करता है। वह भी रोज काम नहीं मिलता। वे बताती हैं कि उनके पति पढ़े-लिखे नहीं हैं इसलिए बाहर भी नहीं जाते, साथ ही उनका परिवार दो लड़के व दो लड़कियाँ वाला है और इतने लोगों के भरण-पोषण की जिम्मेदारी उनके पति पर ही है। बच्चों में एक लड़का जो बड़ा हो चला है। कटनी के दिनों में उनके साथ काम करने जाता है। इसी प्रकार गांव में रह रहे दुखंतीराम, राम पति राम, गंगा दयाल राम और बुची राम का परिवार जो तालाबों के एक छोर पर घर बनाकर रहता है, तालाबों के भर जाने से इसी प्रकार की समस्याओं से दो-चार होता है। इन लोगों का तो नहाना धोना भी यही होता था। तालाब में बचे हुए पानी और सड़न से बीमारियों का खतरा अलग से बना रहता है। ये लोग विवश हैं इस प्रकार की जिंदगी जीने को। गांव का वह वर्ग जो गृहस्थ है, अपनी खेती है उसे तो तालाब का भरना अवसर जैसा है, पर जिन लोगों के पास जमीन नहीं है वे भयंकर त्रासदी के शिकार हैं।

निष्कर्ष

क्षेत्र में तालाबों के अध्ययन एवं उसकी दिशा-दशा जानलेने के पश्चात तथा तालाबों का सतत विकास के रूप में उसके महत्व को देखते हुए ऐसा प्रतीत होता है कि इसे बचाना और बनाए रखना अति आवश्यक है। तालाब भौतिक जगत में रहने के साथ मानव मन और मानव तन का हिस्सा भी है, पर यह मन और तन का हिस्सा अब अलग हो रहा है क्योंकि मनुष्य के मन और तन पर लालच, भौतिकवाद, विकास का नशा चढ़ गया है और वह नशा ऐसा है मानों सबकुछ खत्म होने के बाद ही उतरेगा। तालाबों की दुर्दशा में अकेले नीति निर्माताओं की उदासीनता नहीं है, लोगों का गैर जागरूक रवैया भी बराबर का सहभागी है।

गांव के लोग पर्यावरणीय जरूरतों और सतत विकास नामक संकल्पना से दूर-दूर तक परिचित नहीं हैं। उन्हें इस बात का जरा भी आभास नहीं कि तालाब का अवनयन उनसे किस हद तक की कुर्बानी ले सकता है? उनका खान-पान का साधन तो नष्ट हो ही रहा है, साथ ही नष्ट हो रही है, उनकी संस्कृति धार्मिक सामाजिक समरसता। इतना ही नहीं, जातीय संघर्ष, वैमनस्यता, बेरोजगारी, लाचारी, प्रवास आदि में तेजी से वृद्धि हो रहा है। जमीन के लालच में उनकी चौधियाई आँखें ये सब नहीं देख पा रही हैं, या फिर यह कह सकते हैं कि देखना भी नहीं चाह रही हैं। तो फिर किस कीमत पर !! लोग जागरूक नहीं, वंचितों को सामर्थ्य नहीं, नीति निर्माताओं को चिंता नहीं, पर्यावरण विदों को फुर्सत नहीं, और सरकारें उदासीनता से बाहर आना नहीं चाहती तो फिर कौन होगा उस स्वर्णीम युग को लौटाने वाला जहाँ तालाब की चौखट पर पूरी संस्कृति पलती थी? तालाब को बचाने के लिए बहुत ही गम्भीर प्रयास की आवश्यकता है, जिससे न केवल मानव का जीवन बल्कि प्रकृति के सभी जीवों के साथ-साथ पर्यावरण, सतत विकास, परम्परा, संस्कृति और धर्म की रक्षा हो सके।

संदर्भ ग्रंथ सूची

1. हार्डिन, गैरेट (1968). 'द ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' वॉल्यूम 162 3859, पेज 43-48.
2. गुहा, रामचन्द्र (2006). 'उपयोग की लक्ष्मण रेखा' आक्सफोर्ड प्रेस, नयी दिल्ली.
3. मिश्र, अनुपम (1993). 'आज भी खरे हैं तालाब' कल्याणी शिक्षा परिषद, नयी दिल्ली.
4. ऑस्ट्राम, एलिनॉर, (1986). 'इस्यू ऑफ डिफिनिशन एण्ड थियरिज' नेशनल एकेडमिक प्रेस वासिंगटन डिसी, पेज 597-615
5. शिवा, वन्दना (1986). 'कमिंग ट्रेजरी ऑफ द कॉमन्स' इपिडब्लू.
6. पाण्डेय, जगदीश चंद्र (1986). 'समाज और पर्यावरण' प्रगति प्रकाशन, दिल्ली.
7. कुरियन, पॉल (1988). 'कॉमर्सियलाइजेशन ऑफ कॉमन प्रापर्टी' इपिडब्लू।
8. सिन्हा, सुबिर (1990). 'कॉमन प्रोपर्टी क्लोक्विटव ऐक्शन एण्ड इकोलॉजी' इपीओडब्लू.
9. ऑस्ट्राम, एलिनॉर (1990). 'गवर्निंग द कॉमन' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
10. कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
11. प्रोपर्टी रिजिम्स' इंटरनेशनल बुक डिस्ट्रिब्यूशन देहरादून, पेज-22-32.
12. क्षेत्र सर्वेक्षण; मीव सुखारीपुर
13. पाशा, अजमल सइद (1991). 'सस्टनेबलिटि एण्ड वैविलिटी ऑफ स्माल एण्ड मार्जिनल फार्मर्स' इपीओ डब्लू.
14. हरिमोहन, (1996). 'संस्कृति, पर्यावरण और पर्यटन' तक्षशिला पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
15. राजू, वी०के० (2004). 'ऑफ कॉमन रिसोर्स' इपीओ डब्लू.
16. गोडवा, एन० मनोहरा (2004). 'कॉमन प्रोपर्टी रिसोर्स एण्ड रूरल पूअर' इपीओ डब्लू.
17. स्टीवेन्सन, ग्लेंग (2005). 'कॉमन प्रोपर्टी इकोनामिक्स' कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटी प्रेस, नई दिल्ली.
18. फलेह, अली लाईक (2006). 'हमारा पर्यावरण' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
19. भल्ला, जी०एस० (2007). 'भारतीय खेतिहरों की स्थिति' राष्ट्रीय पुस्तक न्यास भारत.
20. सिंह, कटार (2011). 'ग्रामीण विकास सिद्धांत नीतियाँ एवं प्रबन्ध' सेज पब्लिकेशन, नयी दिल्ली.
21. मिश्रा, हरिकेश एन (2014). 'मैनेजिंग नेचुरल रिसोर्स' पी०एच०आई० लर्निंग प्राइवेट लिमिटेड, नई दिल्ली.
22. सरकार, बिहार (2014). 'कैमूर भू-जल रिपोर्ट' सिंचाई विभाग, बिहार पटना.